Advertisment for the Post of Directors (Project/Operation/ Human Resource/Finance) in UJVNL

Applications are invited for the Post of Directors (Project/Operation/Human Resource/Finance) in Uttarakhand Jal Vidhut Nigam Ltd. (UJVNL) under the Department of Energy, Govt. of Uttarakhand, so as to reach the Principal Secretary, Energy Department, Secretariat Office, Room No. 201, Second Floor, Vishwakarma Bhawan, 4 Subhash Road, Dehradun within 30 days from the date of publication of Advertisement. Detailed information regarding these post (Viz. Recruitment Rules, 2026, Age, Academic Qualification, Experience, Status of service, period of appointment, ACRs and Application form etc.) are available on Uttarakhand Govt. website www.uk.gov.in and UJVNL website www.ujvnl.com.

(R. Meenakshi Sundaram)

Principal Secretary

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–2
संख्या–222 /I(2)/2026-05-04/2025(E- 87962)
देहरादूनः दिनांक 05 मार्च, 2026

कार्यालय ज्ञाप

देश के विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही GENCOs/TRANSCOs के प्रदर्शन को देखते हुए उनकी कार्य प्रणाली में सुधार हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2021 में कॉरपोरेट गवर्नेन्स गाइडलाइन्स (सी.जी.जी.) को जारी किया गया। वर्तमान में तकनीकी विकास एवं वित्तीय स्थिरता के आलोक में कॉरपोरेट गवर्नेन्स गाइडलाइन्स में सूचना प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय कार्यों को भी सम्मिलित करते हुए नई कॉरपोरेट गवर्नेन्स गाइडलाइन्स जारी की गयी हैं, जिसे समयबद्ध रूप से लागू किये जाने की अपेक्षा की गयी है। नई सी.जी.जी. के अनुसार निदेशक मण्डल के ढांचे, पदों की योग्यता एवं कार्यदायित्वों सहित वित्तीय एवं तकनीकी सुधारों को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त के आधार पर ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नियन्त्रणाधीन उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 में कॉरपोरेट गवर्नेन्स गाइडलाइन्स (सी.जी.जी.) के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु नवीन नियमावली बनाए जाने की आवश्यकता है।

अतः श्री राज्यपाल ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों के चयन हेतु पूर्व में कार्यालय ज्ञाप संख्या–629/I(2)/2021–05–16/2020 दिनांक 28 मई, 2021 से जारी उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 (यूजेवीएनएल) के नियमों को अतिक्रमित करते हुए कॉरपोरेट गवर्नेन्स गाइडलाइन्स (सी.जी.जी.) के अनुसार उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 (यूजेवीएनएल) में प्रबन्ध निदेशक एवं निदेशकों के चयन के लिए शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा सेवा के स्तर एवं अन्य शर्तों हेतु निम्नलिखित नवीन नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 में प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण नियमावली, 2026" है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
रिक्तियों व चयन प्रक्रिया का प्रारम्भ	2.	ऊर्जा विभाग द्वारा उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 में प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों के पदों की रिक्ति होने के 06 माह पूर्व से

		चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।
रिक्त पदों का विज्ञापन/परिचालन	3.	रिक्तियों को न्यूनतम 02 समाचार पत्रों के राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संस्करणों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में विज्ञापित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त रिक्तियों की सूचना सभी राज्यों, केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय तथा सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा निगमों/कंपनियों को भी परिचालित की जायेगी और ऐसे राज्यों, विभागों/कंपनियों की एक सूची, पता सहित तैयार कर ली जायेगी। विज्ञापन के साथ सभी पदों के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र भी संलग्न किया जायेगा जो अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र उचित माध्यम से अर्थात् नियोक्ता के माध्यम से भेजा जायेगा; परन्तु यह कि साक्षात्कार की तिथि तक नियोक्ता के माध्यम से आवेदन पत्र केवल उस दशा में स्वीकार किया जायेगा जबकि अभ्यर्थी द्वारा स्वतन्त्र रूप से प्रेषित अपने आवेदन पत्र के साथ विज्ञापन में निर्धारित अवधि में नियोक्ता को उचित माध्यम से आवेदन प्रेषित किये जाने का प्रमाण दे दिया जाय; परन्तु यह और कि आवेदन पत्र के प्रपत्र तथा इन नियमों में किसी अन्तर अथवा विरोधाभास के होने पर यह नियम प्रभावी होंगे।
अनुशासनिक कार्यवाही	4.(क)	अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता अधिकारी से अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जांच के संबंध में एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसमें अभ्यर्थी के विरूद्ध वर्तमान में चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही की आख्या, पिछले 05 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का सार एवं मा0 सक्षम न्यायालयों में वादी/प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित होने का भी विवरण/प्रमाण–पत्र दिया जायेगा; परन्तु यह कि साक्षात्कार की तिथि तक नियोक्ता का उपर्युक्त प्रमाण पत्र केवल उसी दशा में स्वीकार किया जायेगा जबकि अभ्यर्थी द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रेषित अपने आवेदन पत्र के साथ विज्ञापन में निर्धारित अवधि में नियोक्ता को उचित माध्यम से आवेदन प्रेषित किये जाने का प्रमाण दे दिया जाए।
सतर्कता जांच (सार्वजनिक क्षेत्र)	4.(ख)	राज्य के नियंत्रणाधीन विभागों/निगमों में कार्यरत अभ्यर्थियों के संबंध में सतर्कता प्रमाण–पत्र निदेशक सतर्कता से लिया जायेगा। केन्द्रीय विभागों/उपक्रमों में कार्यरत अभ्यर्थियों से सतर्कता प्रमाण पत्र केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत लिया जायेगा।

सतर्कता जांच (निजी क्षेत्र)	4.(ग)	निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों से एक शपथ पत्र इस आशय का लिया जायेगा कि उनके विरूद्ध सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (SEBI), कारपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA), प्रवर्तन निदेशालय (ED), राजस्व अभिसूचना निदेशालय (DRI), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) अथवा राज्य सरकारों एवं भारत सरकार की अन्य संस्था द्वारा किसी प्रकार की आपराधिक अथवा सिविल कार्यवाही लंबित नहीं है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के नियोक्ता से भी इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा। निजी क्षेत्र की कम्पनियों के विषय में उनके टर्न ओवर एवं ऑडिटेड बैलेंस शीट के अतिरिक्त उनके बाजार पूंजीकरण तथा वित्तीय अनुपातों, विशेष रूप से ऋण एवं पूंजी अनुपात (Debt to Equity Ratio) की पिछले तीन वर्ष की जानकारी ली जायेगी। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के संबंध में पिछले 10 वर्षों के नियोक्ताओं का प्रमाण--पत्र भी लिया जायेगा।
प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी	5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठित स्क्रूटनी समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी समिति का अध्यक्ष अपर सचिव से अन्यून स्तर का अधिकारी होगा।
चयन समिति	6.	आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी के उपरान्त अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु निम्नानुसार समिति गठित होगी:-- 1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन : अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग : सदस्य 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग : सदस्य 4. राज्य/राज्य से बाहर स्थित शीर्ष संस्थान (IIT/IIM) के प्रमुख : सदस्य 5. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि : सदस्य
सेवा तथा पदों की प्रकृति	7.	इन पदों की प्रास्थिति सावधि प्रकृति की (Tenure Based) है। नियुक्ति के उपरान्त सभी पदों पर नियुक्ति की अवधि 03 वर्ष अथवा अधिवर्षता आयु (62 वर्ष) जो भी पहले हो, होगी। यदि राज्य सरकार का विनिश्चिय हो जाए तो नियुक्त पदधारकों को 03 माह का अग्रिम नोटिस देकर इस अवधि में सेवा से पृथक

		किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों के कार्यों का सम्यक् मूल्यांकन राज्य सरकार एवं निगम के मध्य गठित MoU में निर्दिष्ट Key Result Areas (KRA's) के आधार पर किया जायेगा।

अध्याय–2

प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक (परिचालन/परियोजना/वित्त/मानव संसाधन), यूजेवीएनएल के पदों हेतु आयु, शैक्षिक योग्यता, वेतनमान आदि

प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएनएल वेतनमानः पे मैट्रिक्स लेवल–16–182200–224100	8.(क)	**आयु**–विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 60 वर्ष। **शैक्षिक योग्यता**– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियन्त्रण में स्नातक की उपाधि/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट/कॉस्ट अकाउन्टेन्ट /स्नातकोत्तर/एमबीए/स्नातक के साथ पीजीडीआईएम। इलैक्ट्रीकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से स्नातक अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रबंधन क्षेत्र की योग्यता रखते हों उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। **अनुभव**– विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी का कुल अनुभव 20 वर्ष एवं ऊर्जा क्षेत्र का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होना आवश्यक है। विद्युत वितरण/पारेषण/उत्पादन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। **सेवा का स्तर**– 1– उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों में निदेशक मण्डल में मौलिक रूप से नियुक्त निदेशक/अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे। 2– केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400–67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे–10000 अथवा 51300–73000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे। 3– उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त निदेशक पद पर 01 वर्ष एवं अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर–1/मुख्य

		महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। 4– संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम 40 लाख रू0 प्रतिवर्ष होनी चाहिए।उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। प्रबन्ध निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगें जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षों का वार्षिक औसत टर्नओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक हो; परन्तु 40 से 60 वर्ष आयु सीमा की पात्रता रखने वाले केन्द्रीय/अखिल भारतीय सेवाओं के निदेशक अथवा उनके समकक्ष राज्य की सेवाओं में कार्यरत अपर सचिव प्रबन्ध निदेशक के पद हेतु पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु अनुभव, सेवा का स्तर तथा शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान लागू नहीं होंगे;
निदेशक, (परिचालन), यूजेवीएनएल वेतनमानः पे मैट्रिक्स लेवल–16–182200–224100	8.(ख)	<u>आयु–</u>विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 60 वर्ष। <u>शैक्षिक योग्यता–</u> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियन्त्रण में स्नातक तथा अधिमानतः एम0बी0ए0 उपाधि। <u>अनुभव–</u> विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का 15–17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा। जिसमें ऊर्जा क्षेत्र का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। विद्युत वितरण/पारेषण के परिचालन व अनुरक्षण का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। <u>सेवा का स्तर–</u> 1. उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों में निदेशक मण्डल में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर मौलिक रूप से कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे। 2. केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400–67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे–8700 अथवा 43200–66000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष

		से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे। 3. उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/ मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2/ महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। 4. संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम 40 लाख रू0 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगें जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के स्तर से निकटतम निम्नतर स्तर (Immediate below) के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पदधारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षों का वार्षिक औसत टर्नओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक हो;
निदेशक (परियोजना), यूजेवीएनएल वेतनमानः पे मैट्रिक्स लेवल–16–182200–224100	8.(ग)	<u>आयु</u>– विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 60 वर्ष। <u>शैक्षिक योग्यता</u>– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियन्त्रण में स्नातक/समकक्ष की उपाधि। <u>अनुभव</u>– विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 15–17 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। <u>सेवा का स्तर</u>– 1. उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों में निदेशक मण्डल में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर मौलिक रूप से कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे। 2. केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400–67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे–8700 अथवा 43200–66000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे।

		3. उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2/महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। 4. संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम 40 लाख रू0 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगें जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के स्तर से निकटतम निम्नतर स्तर (Immediate below) के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षों का वार्षिक औसत टर्नओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक हो;
निदेशक (वित्त) यूजेवीएनएल, वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल–16 182200–224100	8.(घ)	**<u>आयु</u>**–विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 60 वर्ष। **<u>शैक्षिक योग्यता</u>**– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से Chartered Accountant/Cost and Mangement Accountant में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। **<u>अनुभव</u>**–विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को वित्त एवं लेखा क्षेत्र में कार्य का 15–17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। **<u>सेवा का स्तर</u>**– 1. राज्य सरकार के ऊर्जा निगम में कार्यरत मुख्य अभियन्ता स्तर–2 से अन्यून ऐसे अधिकारी (जो Chartered Accountant/Cost and Mangement Accountant की शैक्षिक योग्यता रखते हों) तथा जिन्होनें 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, निदेशक, वित्त हेतु पात्र होगें तथा इन अधिकारियों के सम्बन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के पश्चात संदर्भित क्षेत्र में कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी। 2. केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400–67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे–8700 अथवा 43200–66000

		(आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे। 3. उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता स्तर–2 से अन्यून ऐसे अभियन्ता अधिकारी (जो Chartered Accountant/Cost and Mangement Accountant की शैक्षिक योग्यता रखते हों) तथा जिन्होनें 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, निदेशक, वित्त हेतु पात्र होगें। इन अधिकारियों के सम्बन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के पश्चात संदर्भित क्षेत्र में कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी। 4. संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम रू0 40 लाख प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगें जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के स्तर से निकटतम निम्नतर स्तर (Immediate below) के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पद धारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षों का वार्षिक औसत टर्नओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक हो। 5. राज्य सरकार के निगमों/विभागों में कार्यरत मुख्य अभियन्ता स्तर–2 से अन्यून ऐसे अभियन्ता अधिकारी भी निदेशक, वित्त हेतु पात्र होगें जिन्हें रिसोर्स मोबिलाइजेशन बजट, कामर्शियल प्लानिंग तथा वित्तीय लेखा से सम्बन्धित कार्य का अनुभव हो एवं जिनके पास Chartered Accountant/Cost and Mangement Accountant की योग्यता हो। इन अधिकारियों के सम्बन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बाद कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी; परन्तु 45 से 60 वर्ष आयु सीमा की पात्रता रखने वाले राज्य में कार्यरत राज्य वित्त सेवा के अपर सचिव से अन्यून स्तर के पद धारक की तैनाती की जा सकती है। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु अनुभव सेवा का स्तर तथा शैक्षणिक योग्यता के प्राविधान लागू नहीं होंगे।
निदेशक (मानव संसाधन), पिटकुल वेतनमानः पे मैट्रिक्स	8.(ड.)	**आयु–** विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम आयु 45 वर्ष अधिकतम 60 वर्ष। **शैक्षिक योग्यता–** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से

लेवल–16–182200–224100		स्नातक की उपाधि धारक। पर्सनल मैनेजमैन्ट / मानव संसाधन / औद्योगिक सम्बन्ध विषय में डिप्लोमा / डिग्री या एम0बी0ए0(नियमित) / विधि स्नातक / औद्योगिक अभियन्त्रण में मान्यता प्राप्त डिग्री धारकों को वरीयता दी जायेगी। **<u>अनुभव–</u>** विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को मानव संसाधन / प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 15–17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक / मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। **<u>सेवा का स्तर–</u>** 1. उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों में निदेशक मण्डल में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर मौलिक रूप से कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे। 2. केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो 37400–67000 (सीडीए) तथा ग्रेड पे–8700 अथवा 43200–66000 (आईडीए) के (अपुनरीक्षित) वेतनमान में 02 वर्ष से कार्यरत हैं, भी पात्र होंगे। 3. उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों / संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक / मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2 / महाप्रबंधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। 4. संगठित निजी क्षेत्र (निजी व्यवसाय नहीं) के अभ्यर्थियों के लिए सीटीसी (Cost to Company) न्यूनतम 40 लाख रू0 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। उक्त सीटीसी की सीमा प्रतिवर्ष 10% वृद्धि के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जायेगी। निदेशक के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगें जो संगठित निजी क्षेत्र में निदेशक मण्डल के स्तर से निकटतम निम्नतर स्तर (Immediate below) के सदस्य हों अथवा उसके समकक्ष पदधारण करते हों। किन्तु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकार का पद धारण ऐसे निजी उपक्रम में होना चाहिए जिसका पिछले 03 वर्षो का वार्षिक औसत टर्न–ओवर 2000 करोड़ रूपये से अधिक हो। 5. राज्य सरकार के निगमों / विभागों में कार्यरत मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) से अन्यून ऐसे अभियन्ता अधिकारी भी निदेशक, मानव संसाधन हेतु पात्र होगें, जिनको 20 वर्ष का प्रशासनिक एवं कार्मिकों के अधिष्ठान संबंधित कार्यो का अनुभव हो तथा जिनके पास एम.बी.ए. (एच.आर.) की योग्यता हो। इन अधिकारियों के सम्बन्ध में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बाद

		कार्यानुभव की शर्त लागू नहीं होगी; परन्तु आयु सीमा 45 से 60 वर्ष की पात्रता रखने वाले केन्द्रीय/अखिल भारतीय सेवाओं के उप सचिव अथवा उनके समकक्ष/राज्य की सेवाओं में कार्यरत संयुक्त सचिव अथवा उनके समकक्ष निदेशक, मानव संसाधन के पद हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु अनुभव सेवा का स्तर तथा शैक्षणिक योग्यता के प्राविधान लागू नहीं होंगे। परन्तु यह और कि निदेशक, मानव संसाधन के पद हेतु प्रतिभागिता के इच्छुक उपर्युक्त सरकारी सेवकों को प्रशासन का 10 वर्षो का व्यापक अनुभव अनिवार्य होगा।
मौलिक नियुक्ति का स्पष्टीकरण	**9.**	अध्याय 2 में "मौलिक नियुक्ति" अथवा "मौलिक रूप से नियुक्त" का अर्थ यह है कि यह नियुक्ति संविदात्मक/तदर्थ नहीं होनी चाहिए। यद्यपि केन्द्र अथवा राज्य सरकार के राजकीय उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के पदों पर संविदा के आधार पर कार्यरत अभ्यर्थी तथा निजी क्षेत्र के अभ्यर्थी इस प्रावधान से आच्छादित नहीं होंगे। परन्तु केन्द्र अथवा राज्य सरकार के राजकीय उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के पदों पर तदर्थ अथवा कार्यवाहक रूप में कार्यरत अभ्यर्थी इस प्राविधान से आच्छादित होंगे।
चयन अथवा योग्य अभ्यर्थी न मिल पाने की दशा में प्रावधान	**10.**	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 (यू0जे0वी0एन0एल0) के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक, मानव संसाधन तथा निदेशक, वित्त के पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण न हो पाने, चयन के फलस्वरूप योग्य अभ्यर्थी न मिल पाने अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से रिक्त रहने की स्थिति में विभागीय मंत्री की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध निदेशक के पद पर राज्य सरकार के ऊर्जा निगमों में कार्यरत प्रबन्ध निदेशक/निदेशक या अखिल भारतीय सेवा/राज्य सेवा के अपर सचिव अथवा समकक्ष स्तर के पद धारक को तथा निदेशक के पद पर मुख्य अभियन्ता स्तर–1/अधिशासी निदेशक की तैनाती की जा सकती है।

तदर्थ सेवा विस्तार	11.	विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर यदि नवीन नियुक्ति किया जाना संभव न हो तो प्रबन्ध निदेशक अथवा निदेशक के पदधारकों के कार्यों का सम्यक् मूल्यांकन करने के उपरान्त यथाप्रक्रिया कार्यकाल में 02 वर्ष तक की अधिकतम अभिवृद्धि अधिवर्षता आयु सीमा के अन्तर्गत की जा सकेगी, जो एक बार में 01 वर्ष से अधिक नहीं होगी। निर्धारित कार्यकाल के पश्चात सेवाविस्तार नियम–7 में दिये गये प्राविधान के अनुसार विभागीय मंत्री की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से दिया जा सकता है।
सेवानिवृत्तिक लाभ की अनुमन्यता	12.	सेवानिवृत्तिक लाभ केवल उन्हीं पदधारकों को अनुमन्य होंगे जो प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के पद पर नियुक्ति से पूर्व मौलिक रूप से राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों यथा उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 (यूजेवीएनएल), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पिटकुल) एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 (यूपीसीएल) अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग में नियुक्त रहे हों तथा सम्बन्धित निगम अथवा विभाग में उनका धारणाधिकार सुरक्षित हो। यह लाभ सम्बन्धित मूल निगम अथवा मूल विभाग द्वारा वहन किये जायेंगे। अन्य अभ्यर्थियों को इस प्रकार के लाभों की अनुमन्यता नहीं होगी।
व्यावृत्ति	13.	इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी कठिनाई होने पर अथवा राज्य सरकार का विनिश्चिय होने पर राज्य सरकार द्वारा इन नियमों में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।
निरसन	14.	इस नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त इस विषय पर जारी उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 (यूजेवीएन लि0) के समस्त पूर्व नियम निरसित समझे जायेंगे।

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम्)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 222 / I(2)/2026-05-04/2025(E- 87962), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।

6. प्रबंध निदेशक, यूपीसीएल / पिटकुल / यूजेवीएनएल, देहरादून।
7. मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. ऊर्जा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0एस0डुंगरियाल)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–2
संख्या– 368/I(2)/2026-05-04/2025(E-87962)
देहरादूनः दिनांक 19 मई, 2026

कार्यालय ज्ञाप

श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 में प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण नियमावली, 2026 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

'उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 में प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2026'

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली 'उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 में प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2026' कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 8 के खण्ड (ख), (ग) एवं (ड.) का प्रतिस्थापन–

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 में प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2026 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम 8 के खण्ड (ख), (ग) एवं (ड.) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

पदनाम	नियम–8	स्तम्भ–1 (वर्तमान खण्ड)	स्तम्भ–2 (एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
निदेशक (परिचालन), यू0जे0वी0 एन0एल0 वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 16–182200–224100	**8(ख)** अनुभव	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र मे कार्य का न्यूनतम 15 से 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमे से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक / मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप मे अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप मे आगणित होगा। विद्युत वितरण / पारेषण के परिचालन व अनुरक्षण का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। विद्युत वितरण / पारेषण के परिचालन व अनुरक्षण का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

2/

	8(ख) सेवा का स्तर 1	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों में निदेशक मण्डल मे मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक एव उच्चतर पदो पर मौलिक रूप से कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होगे।	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमो / संस्थाओ मे मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक एव उच्चतर पदो पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होगे।
	8(ख) सेवा का स्तर 3	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यो के निगमो / संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक / मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2 / महाप्रबन्धक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यो के निगमो / संस्थाओ मे मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता स्तर–2 / महाप्रबन्धक एव उच्चतर पदो पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।
निदेशक (परियोजना), यू0जे0वी0एन0एल0 वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल–16–182200– 224100	8(ग) अनुभव	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 15 से 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक / मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप मे अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा।	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र मे कार्य का न्यूनतम 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप मे आगणित होगा।
	8(ग) सेवा का स्तर 1	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमो में निदेशक मण्डल में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक एव उच्चतर पदों पर मौलिक रूप से कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होगे।	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमो / संस्थानो मे मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक एव उच्चतर पदों पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होगे।
	8(ग) सेवा का स्तर 3	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमो / संस्थानो में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक / मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के पद पर	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यो के निगमो / संस्थानो मे मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता स्तर–2 / महाप्रबंधक एव

		न्यूनतम 01 वर्ष एव मुख्य अभियन्ता स्तर--2 / महाप्रबधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होगे।	उच्चतर पदो पर कार्यरत पात्र होगे।
निदेशक (मानव संसाधन), यू0जे0वी0एन0एल0 वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 16--182200--224100	**8(ड.)** अनुभव	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को मानव संसाधन / प्रशासनिक क्षेत्र मे कार्य का न्यूनतम 15 से 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमे से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक / मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप मे अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप मे आगणित होगा।	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को मानव ससाधन / प्रशासनिक क्षेत्र मे कार्य का न्यूनतम 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप मे आगणित होगा।
	8(ड.) सेवा का स्तर 1	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियत्रणाधीन निगमो मे निदेशक मण्डल मे मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक एव उच्चतर पदो पर मौलिक रूप से कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होगे।	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियत्रणाधीन निगमो / संस्थानो मे मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक एव उच्चतर पदो पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होगे।
	8(ड.) सेवा का स्तर 3	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यो के निगमो / संस्थानो मे मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक / मुख्य अभियन्ता स्तर--1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एव मुख्य अभियन्ता स्तर--2 / महाप्रबधक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होगे।	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यो के निगमो / सस्थाओ मे मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता स्तर--2 / महाप्रबन्धक एव उच्चतर पदो पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होगे।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 368 / I(2)/2026-05-04/2025(E-87962), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल / पिटकुल / यूजेवीएनएल, देहरादून।
7. मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. ऊर्जा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0एस0डुंगरियाल)

संयुक्त सचिव।

APPLICATION FORMAT

Instructions:- 1 Candidates are advised to carefully go through the Recruitment Rules-2026 (As Amended) for Managing Director and Directors in UPCL/PTCUL/UJVNL Issued vide Office Memorandum No. 220, Dated 05-03-2026 & 367, Dated 19-05-2026/ Office Memorandum No. 221, Dated 05-03-2026 & 369, Dated 19-05-202619 May, 2026 & Office Memorandum No. 222, Dated 05-03-2026 & 368, Dated 19-05-2026 of Energy Department, Govt. of Uttarakhand and published alongwith this advertisement. In case of any discrepancy between aforesaid rules and this application form the rules shall prevail over.

2. Candidate may give all requisite details duly typed in the prescribed format in M.S. word

Recent attested Photograph applicant

1.	**Name of the Post Applied for with organization (UPCL/PTCUL/ UJVNL)**		:	
2.	(a)	Name of the Applicant	:	
	(b)	Designation of the applicant(in Full, Including name of organization where employed)	:	
	(c)	Office address	:	
3.	**Address for Communication**		:	
4.	**Telephone Nos.**	Office	:	
		Residence	:	
		Fax No.	:	
		Mobile No.	:	
		e-mail address	:	

5.	**Eligibility Criteria fulfillment according to rules, 2026:-**			
		Date of Birth	Age on date of Advertisment	Whether Eligible or Not
A.	**Age**			
B.	**Academic/professional qualifications (along with th name of institutions)**	As Per Job Specifications	Possessed by the officer	Whether Eligible or Not
C.	**Status**			
D.	**Experience**			

6. Positions held during the preceding ten Years:

Sl.No	**Designation and Place of posting**	**Organization**	**From**	**To**	**Pay Scale**
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

6.(a) Nature and duration of experience relevant for the advertised post and job description as per Rules, 2026:

Sl.No	Designation and Place of posting	Organization	From	To	Pay Scale
1.					

7. in case the candidate is holding the present post on lien/deputation basis (for PSUs Executives):-

(a) Name of the organization in which the lien is held.

(b) The date from which the lien is held.

(c) Date from which candidate is on deputation.

8. (a) Whether any punishment awarded to the applicant during the last 10 years : Yes or No

If yes, the details thereof

9. (b) whether any action or inquiry is going on against him as far as his knowledge goes: Yes or No

If yes, the details thereof

10. In case the candidate is from private sector (not self-employed) then

(a) Name of organization in which post is held

(b) The Post is Board level or immediately below the Board level

11. Certificate as prescribed in Rule 4 (ग).

12. Annual Turnover of the Company where the candidate is employed (Certified copy to be attached): Turnover Rs........... for the year PSUs/Private Sector Executives). (for PSUs/Private Sector Executives).

13. **Instructions for employer (For PSUs only):**

According to Rules, 2021 while forwarding application through proper channel, the employer should enclose attested copies of ACRs for the preceding five years and Vigilance Clearance certificate in respect of applicant.

14. **Certification and Declaration:** (Candidate should give true and correct information. If it is found at any stage. (even after the appointment) that the same is false then his candidature would be rejected or appointment would be terminated, as the case may be, and he would be debarred from participating in future selections.

I certify that:

(i) The annual report for the last audited financial year and annual turnover figures duly certified by the Company Secretary/CFO are enclosed at Encl. I. (for SPSUs/for private sector executive the

audited financial report for last three years along with market capitalization Debt/Equity Ratio, Debt some coverage ratio).

(ii) A write up on the significant contributions made by me during the present/past assignments and my suitability for the post is enclosed at Encl. II. (For all Categories).

(iii) I am working at Board level position and reporting directly to .... on the Board or one level below Board level and reporting directly to a .... on the Board (For Private Sector Executives).

(iv) The Company in which I am working is listed on the......... . (Name) .... Stock exchange.

A proof of listing is Encl. III. (For Private Sector Executives).

I, certify that the details furnished by me in Column 1 to 10 are true and I am eligible for the post.

I, ...son of........... hereby certify that I have not been disqualified to act as a Director under Section 164 or any other relevant provisions of the Indian Companies Act, 2013.

I also certify that I am not facing any charge of, nor have ever been convicted for, any act of moral turpitude or economic offence.

I further submit my willingness for the interview and to join the post, if selected. I understand that, if I give my unwillingness after the interview is held, but before the appointment is processed or after issue of offer of appointment, I may be debarred for a period of one year for being considered for a Board level post in any PSE, under the State of Uttarakhand other than the one to which I belong to.

Date:

Place:

( )
Name and signature of the applicant)